F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

जमूरी देवी बनाम दाखा वगै0

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र वाजदायरी अ0 आदेश 9 नियम 4 सीपीसी मुकदमा नम्बर—18 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
06.02.2023	प्रार्थीया की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील प्रार्थीया ने प्रस्तुतीकरण के दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त वादपत्र बमुकदमा उनवानी जमूरी बनाम दाखा वगै0 वादपत्र उद्घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 30 / 2018 तारीख पेशी 21.07.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी जानकारी वकील प्रार्थीया को दिनांक 02.02.2023 को मिलने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके साथ वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का भी पेश किया है। जिस पर भी वकील प्रार्थीया को सुने जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को पेश कर देरी माफी हेतु वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया है। जिस पर लचीला रूख रखते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी प्रारम्भिक स्टेज पर ही स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियत 4 व धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा मूल दावा वादपत्र उनवानी जमूरी बनाम दाखा वगै0 वादपत्र, मुकदमा नम्बर 30 / 2018 निर्णय फैसला 21.07.2022 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया जाता गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर सीकर